खण्ड-2 संख्या-10

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 12 जून, 1995 ई०

लीजियेगा, विकास का काम कैसे होगा । यह पूरे कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रश्न है।

श्री यशंवत सिन्हा : महोदय, प्रश्न जो है वह मूल है कि जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हैं उनसे गलती हुई और उनकी गलती के चलते कर्मचारी को खामियाजा भुगतन पड़ता है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की गलती के चलते कर्मचारियों की क्षति नहीं हो। इसमें लाखों रुपये की क्षति हो जाती है, पूरे सर्विस काल में

श्री जगदानन्द सिंह : किसी की क्षति नहीं होती । जो कटौती होगी उसी पर हम सूद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महोदय, सरकार यह विचार कर रही है कि किसी कारण से किसी की गलती से अगर कटौती नहीं हो पायी तो फिर उतने पैसे की कटौती कर के जो देय सूद है उसके अनुसार हम उसका भुगतान करेंगे यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा : कब तक ?

श्री जगदानन्द सिंह : इसमें देर भी होगी तो इसका भूतलक्षी प्रभाव पड़ेगा । इससे नुकसान नहीं होना चाहिए । शंका है कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। जो समझौता हुआ है अगर समझौता नहीं भी हुआ होता तो भी कर्मचारी कटौती कराने के लिए अगर तैयार हैं तो वो सूद प्राप्त करेंगे। यह सरकार के विचाराधीन है।

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

***530. श्री राम दास राय :** क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(1) क्या यह बात सही है कि सी० आर० पी० सी० के तहत दर्ज प्राथमिकी के मामले के संबंध में 90 दिनों के अन्दर अभियोग-पत्र दाखिल कर देना है;

(2) क्या यह बात सही है कि कोतवाली थाना, पटना कांड संख्या 442194, दिनांक 26 नवम्बर 1994 को दर्ज प्राथिमिकी में 6 माह से अधिक बीत जाने के बावजूद अनुसंधानकर्त्ता श्री आर० एन० झा० द्वारा जांच की कार्रवाई पूरी नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार समय-सीमा के अन्दर अभियोग पत्र दाखिल नहीं करने वाले संबंधित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

श्री रघुनाथ झा : 1. यह सही है कि द० प्र० सं० धारा 67 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसंधानान्तर्गत कांडों में अभियुक्तों के गिरफ्तारी के 60/90 दिनों के अन्दर ही अनुसंधान सभी विन्दुओं पर पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर देना है अन्यथा इसका लाभ जेल भेजे गये अभियुक्त को मिल सकता है।

2. कोतवाली थाना कांड सं०-442/94 दिनांक 26.11.94 धारा 363/366/366(ए) आ० द० वि० एक नाबालिग लड़की के अपहरण से संबंधित कांड है। अनुसंधान कर्त्ता द्वारा दिनांक 8.4.95 को अपहृत लड़की को बरामद किया गया तथा इस कांड में लिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जिससे न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है। इस कांड में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त राज किशोर राय अभी तक फिरार है जिसके लिए कुर्की जप्ती की कार्रवाई की जा चुकी है।

3. इस कांड का अनुसंधान पूरा करने के बाद अभियुक्त रामायण राय, जुगल राय, कंचन सिंह, पप्पु उर्फ राजेश कुमार एवं हीरा लाल सिंह के विरूद्ध सज किशोर राय को फिरार दिखाते हुए

धारा 363/366/366/(ए) /120 (बी) भा० द० वि० के अन्तर्ग आरोप पत्र संख्या 66 दिनांक 26.5.95 न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है।

उपर्युक्त खंडों से स्पष्ट हो जाता है कि इस कांड के अनुसंधानकर्त्ता द्वारा इस कांड के अनुसंधान में कोई शिथिलता नहीं बरती गयी है। इसलिए उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई करने का औचित्य प्राप्त नहीं होता है ।

श्री रामदास राय : महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तर को स्वीकारात्मक कहा है । इस प्रश्न में अध्यक्ष महोदय है कि एक नावालिग लड़की के साथ शादी रचाये जाने और लेकर रखने के चलते केस हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लड़की बी० ए० की छात्रा थी और लड़का भी बी० ए० का छात्र था दानों ने लभ मैरिज शादी किया है। वैसी हालत में कोई केस नहीं बनता है, कोई केस नहीं हुआ, लड़की ने जो लभ मैरेज किया है कोर्ट में हाजिर होकर, उसकी कॉपी हमारे पास है उसमें लिखा है कि ऋतु मिश्रा ने 13.5.94 को कोर्ट मे हाजिर होकर स्वेच्छा से शादी रचायी । यह कहीं है कि लड़की को भगाकर ले गये, यहाँ ले गए, वहाँ ले गये। दोनों की शादी रजामंदी से हुई है। ऐसी हालत में अध्यक्ष महोदय, गार्जियन को परेशान...........

अध्यक्ष : आप क्वेश्चन को पुछिए न ।

श्री रघुनाथ झा : इनके प्रश्न में जो कहा गया है उसमें है कि अगर 90 दिन के अन्दर आरोप पत्र समर्पित नहीं होता है तो अभियुक्तों को इसका लाभ मिल जाता है। 6 महीना में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की ऐसी बात नहीं है । जो ये पूछ रहे हैं वो इनके प्रश्न में नहीं है। सपलमेंट्री जो पूछ रहे हैं वो कहाँ से पूछ रहे हैं ?

श्री रामदास राय : अध्यक्ष महोदय, जबतक इसके ग्राउंड में नहीं जायेंगी, इसके परिप्रेक्ष्य में नहीं जायेंगे तो वस्तुस्थिति से सदन को अवगत नहीं करा सकते हैं ।

श्री रघुनाथ झा : यह प्रश्न में ही देना चाहिए था। प्रश्न कुछ है और सपलमेंटरी कुछ पूछ रहे है ।

श्री राम दास राय : अध्यक्ष महोदय, मैने पूछा कि सी० आर० पी० सी० के तहत दर्ज प्राथमिकी के मामले के संबंध में 90 दिन के अन्दर अभियोग पत्र दाखिल कर देना है। आफिसर, अनुसंधान कर्त्ता श्री आर० एन० झा हैं अगर अभियुक्त दोषी हैं तो उनके परिवार वालों को सताना ठीक नहीं है। लड़के के पिता यहाँ चपरासी हैं।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं।

श्री रघुनाथ झा : क्वेश्चन ये पहले नहीं समझें और ये दवाब में आने पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं।

श्री रामदास राय : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि 90 दिन के अन्दर आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया तो आप आई० ओ० के विरुद्ध कौन -सी कार्रवाई करना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, 90 दिन के अन्दर समर्पित होना चाहिए यह हमने स्वीकार किया। पुलिस ने क्वीक ऐक्शन लिया चार्जसीट किया, जो हाजीर नहीं हुए उन पर पुलिस ने कौन -सी कार्रवाई की? इन्होंने यह पूछा । मुदालह के घर कुर्की जप्ती की गयी । पटना कोतवाली एरिया में उसका खटाल है वहां भी कुर्की किया गया । इनके प्रश्न का जवाब सफिशियंट मिल गया अब यह उल्टी बात पूछ रहे हैं। पता नहीं ये समझदारी से क्वेशचन किये हैं या फिर गैर, समझदारी से किये हैं।

श्री रामदास राय : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उत्तर दिया, हमने प्रश्न किया कि 6 माह से अधिक हो गये, चार्जसीट सबमिट नहीं

किया गया । आप इसके लिए उस आइ० ओ० को चेंज करना चाहते हैं अगर वह काम नहीं कर सकते हैं तो फिर इस मामले की जांच दूसरे से करवा सकते हैं ।

श्री रघुनाथ झा : महोदय, हमने स्पष्ट किया कि चार्जसीट ऑल रेडी सबमिटेड है। इसमें अनुसंधान में क्या विलम्ब हुआ है?

श्री रामदास राय : कोर्ट में किस दिन सबमिट हुआ है ?

श्री रघुनाथ झा : दिनांक 26.11.94 धारा 363/366/366 (ए) भा० दि० वि० एक नावालिग लड़की के अपहरण से संबंधित कांड हैं। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा दिनांक 8.4.95 को अपहृत लड़की को बरामद किया गया तथा इस कांड में लिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । एक अभियुक्त राजकिशोर राय फरार हैं। चार्जसीट 26.5.95 को न्यायालय में समर्पित किया गया है।

श्री गणेश प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं देने का यही कारण है कि तंग किया जाय। छः महीने बाद जिस प्रश्न में जिस मुकदमा की चर्चा की गयी है उसमें अब तक चार्जशीट नहीं करने का क्या औचित्य है ? चार्जशीट कब हुआ ?

अध्यक्ष : मंत्री ने तो बता दिया ।

श्री रघुनाथ झा : 26 – 5 – को हुआ था ।

श्री अकलु राम महतो : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा हैं कि लड़का नाबालिग था और 90 दिन से अगर अधिक जैसा कि माननीय सदस्य के पास कोर्ट का कागजात है और उसे दिख रहे हैं कि शादी कर लिया है और वे दोनों बी० ए० के छात्र एवं छात्रा हैं। ऐसी अवस्था में क्या मंत्री गंभीरता से इसकी जाँच कराकर उनलोगों को रिलीफ देने का काम करेंगे ?

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न को देख लिया जाये । प्रश्न में इसका जिक्र नहीं है। प्रश्न में है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट होना चाहिए । प्रश्न में यह भी

है कि कार्रवाई होनी चाहिये तो वह सारी कार्रवाई और प्रक्रिया पूरी हुई है।

श्री गणेश प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का खंड 3 देखा जाये । 90 दिन के अन्दर चार्जशीट देना है। 90 दिन के अंदर चार्ज शीट नहीं देकर पिछले महीने के 26 तारीख को चार्ज शीट दिया गया है। क्वेश्चन में जिस बात को उठाया गया है कि 90 दिन में चार्ज शीट नहीं दिया गया तो थाना प्रभारी ने जो नियम है उसका उल्लंघन किया तो क्या थाना प्रभारी पर 90 दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं करने के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करना चाहती है कि नहीं ?

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, उसमें उसका कोई पार्ट औफ नेगलीजेंस नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री गणेश प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। 90 दिन के अंदर किसी भी मुकदमें में चार्जशीट करना है। । 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं होने का मतलब है. ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य गणेश बाबू मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इसी प्रश्न को पूछना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो जिस तरह से प्रश्न लिखा गया है उसको आप दूसरे ढंग से लिखकर आप ही पूछ लीज़िये ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, 90 दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं दिया गया। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट होना चाहिये कि नहीं ?

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, चार्ज शीट 90 के अंदर नहीं मिलता है तो मुदालह को लाभ मिलता है इसमें मुदालह को लाभ नहीं मिला । सरकार ने इसको स्वीकार भी किया है। जो गिरफ्तार थे वे पहले से जेल में थे बाकी एक आदमी फरार था

उसको फरार दिखाकर चार्जशीट सबमिट हुआ, कुर्की जप्ती उनके घर पर भी की गयी है, पटना में भी की गयी है।

श्री गणेश प्रसाद यादव : महोदय, लाभ मिलने का प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि 90 दिनों के अंदर चार्ज शीट दिया है कि नहीं दिया है। अगर 90 दिनों के अंदर चार्ज शीट नहीं दिया है तो यह नियम विपरीत कार्रवाई दारोगा का है कि नहीं ? अगर है तो सरकार क्या उस दारोगा के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे कि नहीं। सवाल किसी के लाभसा और हानि का नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र चरण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ मूल प्रश्न यही है कि सी० आर० पी० सी० के तहत 90 दिनों के अंदर चार्जशीट देना है। 90 कदनों के अंदर चार्जश दिया है कि नहीं दिया ? 90 दिनों के अंदर चार्जशीट देने का प्रावधान है कि नहीं ? अगर प्रावधान है तो 90 दिनों अंदर चार्जशीट दिया कि नहीं दिया है? यदि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं दिया है तो थाना प्रभारी दोषी है कि नहीं ? यदि थाना प्रभारी दोषी तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय,आप भी सब चीज को अच्छी तरह जानते हैं । 90 दिनों मैनडेटरी नहीं है। 90 दिनों में नहीं पड़ता है तो मुदालह को लाभ मिलता है। इसमें मुदालह को कोई लाभ नहीं मिला है।

अध्यक्ष : आप बैठिये न ।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने सदन को गुमराह कर दिया यह कहा है कि 90 दिन मैनडेटरी नहीं है। महोदय, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और इस तरहका का मामला देखा है। मैने भी इंटरकास्ट मैरिज किया है। इसलिये मंत्री जी

कम से कम आप मैनडेटरी शब्द को वापस कीजिये । मूल प्रश्न यह किया गया है कि लड़का-लड़की ने अपनी मरजी से शादी की है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। वे चाहते हैं कि दोनों को लाभ मिले और इसकमें मुकदमा जो किया गया है उसमें आप समझौता कर दें।

श्री रघुनाथ झा : महोदय, लड़की के पिता ने केस किया है जो रिपोर्ट आयी है। क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्वेश्चन आपने पूछा, जवाब जानना चाहा, जवाब हमने दिया है।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, उपेन्द्र नाथ दास जो भी शादी किये हैं, ये एक्सपर्ट हैं । इन्हीं को भेजकर समझौता करा दिया जाये ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, चार्जशीट के लिये कोई समय निर्धारित होगा सी० आर० पी० सी० के तहत कि किस मुकदमें में चार्जशीट देना है, कब देना है, दस वर्ष में देना है कि बीस वर्ष में देना है। यदि 90 दिन मैनडेटरी नहीं है तो समय-सीमा तो निर्धारित होगी कि वह भी नहीं हैं ?

बकाये कर भुगतान

***531. श्री रामलषण राम 'रमण'** : क्या मंत्री, ईख विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत गन्ना किसाना के गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले तीन वर्षों से नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विहित प्रावधान के अनुसार 14 (चौदह) दिनों के अन्दर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पन्द्रहवें दिन से बकाया ब्याज सहित भुगतान करने का प्रावधान है ;